

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-30/2015-16

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो

बनाम्

मेसर्स चन्दा टेलर्स एण्ड साड़ी सेन्टर

—: आदेश :-

14.06.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स चन्दा टेलर्स एण्ड साड़ी सेन्टर, प्रो० श्रीमति प्रमिला देवी, पति-श्री अशोक प्रसाद सा०-यदुवंश नगर, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा जेरीजीह, प्लॉट नं० 684 रकबा-04 डी०) को गिरवी रखते हुए 10,40,000.00 (दस लाख चालीस हजार) रुपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.12.2014 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

विपक्षी को सूचना होने के बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित थे।

अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजात के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि विपक्षी के द्वारा आज तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का

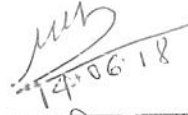
कारण-पृक्षा दाखिल नहीं किया गया है। उनके द्वारा मात्र आवेदन पत्र देकर अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए ऋण राशि कम करने का अनुरोध किया गया है। जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विपक्षी के द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में कुछ कहना है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, गूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


14.06.18

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।